


मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक /0.09.2023

क्रमांक 2204/1462724  
/2023/50-2 :: राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना  
2023 अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 6.1 एवं 6.2 में राशि 1,000/- के स्थान पर 1,250/-  
प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

2/ उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभावशील होंगे।


  
(अजय कटेसरिया)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक /09.2023

पृष्ठा. क्र. 2205/1462724  
प्रतिलिपि:- /2023/50-2

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश
3. उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग